भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ARMED FORCES FLAG DAY

TAR PRADESH

DL 559844

श्रीमती सरस्वती एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट

खजुरन, डेमा, बदलापुर, जौनपुर, उ0प्र0।

कार्यालय का नाम–	उपनिबंधक–बदलापुर जनपद जौनपुर
प्रस्तुत करने की तिथि–	15.12.2016
निष्पादन की तिथि	15.12.2016
प्रस्तुत कर्ता का नाम व पता–	राजीव द्विवेदी पुत्र स्व0 रामचन्द्र द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 डेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0।
विलेख की प्रकृति–	ट्रस्टनामा
प्रतिफल की धनराशि	नौ हजार रुपये।
कुल अदा किया गया स्टाम्प	एक हजार पाँच सौ रूपया मात्र।
1. संस्था का नाम–	श्रीमती सरस्वती एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट।
2. संस्था का पता	राजीव द्विवेदी पुत्र स्व0 रामचन्द्र द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 डेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0। पिन कोड– [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559845

ट्रस्टनामा

यह ट्रस्ट/डीड/न्यास विलेख आज दिनांक 16.12.2016 को **राजीव द्विवेदी पुत्र स्व0 रामनाथ द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 डेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0** द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो भारतीय ट्रस्ट/न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है। जिसे **श्रीमती सरस्वती एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा।

2. **ट्रस्ट का मुख्यालय**– इसका मुख्यालय ग्राम खजुरन, पो0 डेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0 पिन कोड 222125 होगा। केवल कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यालय ट्रस्टी के संस्थापक मण्डल के दो तिहाई बहुमत से अन्यत्र खोला जा सकेगा।

3. **ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र**– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश व भारत वर्ष।

4. **ट्रस्ट का कोष**– पंजीकृत ट्रस्ट स्थापित कर्ता द्वारा दी गयी प्रारम्भिक पूंजी 9,000 रुपये के अतिरिक्त भविष्य में अन्य न्यासी, समूह, समुदाय, सहयोगी, अभिकरण, दानकर्ता तथा अन्य से प्राप्त होने वाला चैक व बैंक के माध्यम से चल अचल सम्पत्ति एवं निधि की पूंजी में जुड़ेगी जिसको न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों के गतिविधियों में खर्च किया जायेगा।

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप निबंधक ([illegible])
जौनपुर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप निबंधक ([illegible])
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DL 559846

उद्देश्य–

1. उत्तर प्रदेश में जन मानस को कम्प्यूटरीकृत शिक्षा प्रदान करना व कराना।
2. समय समय पर महापुरुषों के प्रवचन तथा अन्य समाजोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
3. समाज के सभी वर्गों को संगठित कर उन्हें राष्ट्र और समाज की सेवा व रक्षा की शिक्षा देने के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0,बी.टी. सी., लॉ कालेज, बी.पी.एड., डी.एड. एवं समकक्ष अन्य प्रोफेशनल कोर्सो की स्थापना करना एवं संचालित करना।
4. जनसामान्य को अंधविश्वास एवं अशिक्षा के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा उन्हें शिक्षित करके जागृत करना।
5. बालक/बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए नर्सरी, प्राइमरी, जूनियरहाईस्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 'हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम' नर्सिंग होम, अस्पताल, व्यायामशाला व स्विमिंग पूल की स्थापना करना एवं रख रखाव करना। विद्यालयों, महाविद्यालयों, अनाथालयों, चिकित्सा केन्द्रों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेज, व मदरसा तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना एवं परमार्थ संस्थाओं जैसे अनाथों, अपाहिजों और पीड़ितों हेतु आश्रयगृह की स्थापना उनका निर्वहन, परिचालन एवं सहायता करना।

[illegible]

उप [illegible]

-5 [illegible] 2016

Registration No.: 42 Year: 2,016 [illegible] 4

(010) [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559847

6. कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित तथा आत्मज्ञान से सम्बन्धित अनुभूतियों का प्रचार एवं प्रसार करना व जन जागरूकता हेतु समय समय पर ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
7. कम्प्यूटर के ज्ञान को सभी लोगों तक प्रचार एवं प्रसार व करना।
8. सर्वधर्म समन्वय की भावना को पोषित करना तथा उसके सार तत्वों से जन-जन को अवगत कराना।
9. दैवीय, आपदा जैसे भूकम्प, सूखा, बाढ़ एवं बिमारी आदि के समय पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करना। असहाय महिलाओं की सहायता करना।
10. सभी कार्यों का सम्पादन जाति धर्म वर्ण एवं वर्ग के भेद भाव से रहित होकर करना। गरीब लड़कियों हेतु स्वरोजगार परक शिक्षा देना एवं जागरूक करना।
11. संस्था के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान लेना, दान देना, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, अर्जित करना, बनाना, रख रखाव करना व संचालन करना।
12. आध्यात्मिक एवं नैतिक सद्विचारों का प्रचार प्रसार करना। मंदिरों का निर्माण करना व उनका रख-रखाव करना।
13. वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को प्रत्येक जीव में अनुप्राणित करना एवं विश्वशांति के लिए प्रेरित करना व शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ अन्य प्रचार करने वाली सामग्री का प्रयोग करना।

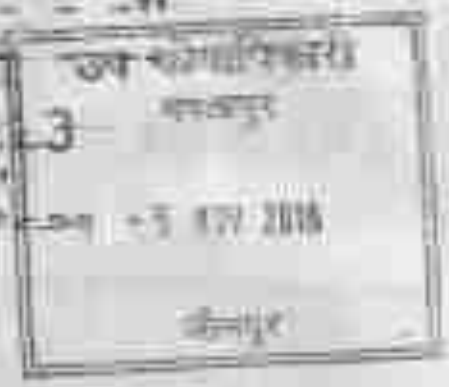

[illegible]

गवाह

Registration No.: 42 Year: 2016 Book No.: 4

W1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

W2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

रु. 100 Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DL 559848

14. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कम्प्यूटर से सम्बंधित कालिक पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और पत्रकों का प्रकाशन करना/करवाना अथवा इनका विक्रय या वितरण करना, पुस्तकालय, वाचनालय, हेल्थ सेंटर व छात्रावास की व्यवस्था करना व स्वयं स्थापना करना।
15. निर्धनों व जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना व उनकी शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान करना, समाज के उपेक्षित वर्ग को उनका उचित स्थान दिलाने हेतु प्रयत्न करना।
16. संस्था के कोष को सुरक्षित एवं लाभकारी रूप में रखना एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु स्थायी कोष की स्थापना करना।
17. संस्था की अचल सम्पत्ति व स्थायी कोष की सुरक्षा के लिए अनुकूल व्यवस्था करना।
18. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो आवश्यक, प्रासंगिक एवं लाभोपकारी हों।
19. ट्रस्ट के सभी कार्य निःस्वार्थ/जनमानस को ध्यान में रखकर किये जायेंगे। यह एक चैरिटेबुल प्रवृत्ति का ट्रस्ट कहलायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559849

संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा कार्यों को सुचारू रूप से एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए ट्रस्ट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रस्ट में कुल 03 सदस्य होंगे जिन्हें ट्रस्टी कहा जायेगा। इसका मुख्यालय दस्तावेज में अंकित पते पर ही होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट के उद्देश्यों, सिद्धान्तों तथा संदेशों को सम्पूर्ण विश्व में प्रचारित-प्रसारित एवं क्रियान्वित करना है ताकि समस्त प्राणियों का आर्थिक/सामाजिक भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण हो सके। संस्था का संचालन बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा होगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु एक केन्द्रीय प्रबंध समिति होगी। बोर्ड आफ ट्रस्टीज का प्रमुख संस्था का अध्यक्ष कहलायेगा। संस्था के प्रबन्धक/सचिव राजीव द्विवेदी पुत्र स्व0 रामयश द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 टेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0। होंगे।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज/केन्द्रीय प्रबंध समिति का गठन-

ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या 03 होगी। इसकी सदस्यता हेतु वही व्यक्ति अर्ह होगा जो ट्रस्ट के सिद्धान्तों में आस्था एवं विश्वास रखेगा। संस्था में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे। आरम्भ में सदस्यों को 500 रू0 जमा करके ट्रस्टी बनना होगा। केन्द्रीय प्रबंध समिति हेतु इन्हीं सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का चयन होगा। प्रबन्धक/सचिव के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का चयन संस्था के

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559650

अन्य सदस्यों की सहमति से करेंगे। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। इस अवधि के समाप्त होने के पूर्व नयी समिति का गठन कर लिया जायेगा। इस समिति में एक अध्यक्ष एक सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष होंगे। इनमें आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से परिवर्तन भी किया जा सकेगा। प्रबन्धक/सचिव का कार्यकाल आजीवन रहेगा तथा उनके त्याग पत्र देने या आकस्मिक निधन हो जाने के कारण उनके वैधानिक संतान/उत्तराधिकारी ही होंगे।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रबंध समिति के अधिकार व कर्तव्य-

ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुकूल कार्यों का अनुष्ठित करना इसका कर्तव्य होगा। समिति के बैठकों में लिए गये निर्णयों को पदाधिकारियों के माध्यम से अधीनस्थ कर्मियों द्वारा सम्पन्न कराना इसका कर्तव्य होगा। किसी भी स्तर पर पदाधिकारियों या कर्मियों में इसके प्रति उदासीनता या अनिच्छा को घोर अनुशासनहीनता समझा जायेगा तथा इस संस्था के हितों के प्रतिकूल आचरण की सजा दी जायेगी। समिति के विधान के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

केन्द्रीय प्रबंध समिति/बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रबन्धक/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज के समस्त बैठकों में प्रबन्धक/सचिव का आसन ग्रहण करना, कार्यवाही का संचालन करना, अनियमित व्यवहार और अनावश्यक विवाद को रोकना, आम सहमति का प्रयास करना।

[illegible]

उप [illegible]
[illegible]

-5 JUN 2018

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

उप कोषाधिकारी

रु. 100

-5 NOV 2014

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559851

2. ट्रस्ट के सम्पूर्ण कार्यों का निरीक्षण करना और कर्तव्यों का पालन करना एवं उन सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो संस्था के सुसंचालन एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
3. प्रश्नों एवं प्रस्तावों के औचित्य पर अपना अन्तिम निर्णय देना।
4. ट्रस्टीज के प्रस्ताव पर मत भिन्नता की स्थिति में मतदान कराना।
5. किसी विषय पर समान मत प्राप्त होने पर अपने निजी मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत प्रदान करना।
6. सभाओं के कार्य में बाधा उत्पन्न करने, प्रबन्धकीय आदेश का उल्लंघन करने, उद्दण्डता या अपशब्दों का प्रयोग करने वाले सदस्य या महानुभाव को बैठक की कार्यवाही छोड़ने का आदेश देकर बैठक को अनुशासित करना।
7. किसी भी ऐसी परिस्थिति जिससे संस्था के हितों को नुकसान पहुँचाने की संभावना हो या संस्था की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने की परिस्थिति हो तत्काल भंग करना तथा एक सप्ताह के भीतर कोई आम ट्रस्टीज की बैठक बुलाकर नवीन व्यवस्था हेतु प्रबंध करना। प्रबन्धक/सचिव का कार्यकाल आजीवन रहेगा।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. ट्रस्ट की समस्त आय व्यय पर नियंत्रण रखना।
2. अध्यक्ष की स्वीकृति से संस्था के व्यय का भुगतान करना।
3. संस्था का चंदा या अन्य धन प्राप्त करना, वसूलना एवं संस्था की ओर से रसीद जारी करना।
4. ट्रस्ट/समिति के किसी भी पदाधिकारी को प्रदत्त समस्त अधिकार/कर्तव्यों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   DL 559852

5. संस्था के आय व्यय का सम्पूर्ण हिसाब रखना एवं प्रति बैठक में बोर्ड आफ ट्रस्टीज के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा संस्तुति प्राप्त बैंक में या स्थान पर संस्था का समस्त धन जमा करना।
7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था का आय व्यय विवरण व बही खातों को आडिट कराना एवं बोर्ड आफ ट्रस्टीज सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
8. ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियों का विवरण रखना।
9. उन सभी कार्यों को करना जो बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा उन्हें सौंपे जायें।

बोर्ड की बैठकें एवं कोरम–

ट्रस्ट बोर्ड की एक वित्तीय वर्ष में (जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च की अवधि का होगा) चार बैठकों को आहूत करना आवश्यकीय होगा। अधिक बैठकें प्रयोजन अनुसार आहूत की जा सकेंगी। ऐसी बैठक में कोरम बोर्ड संख्या का आधा होगा। यदि कोरम की पूर्ति समयानुसार पर नहीं होती है तो विशेष परिस्थिति में मात्र सदस्यों की उपस्थिति पर ही बैठक संचालित की जा सकेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DL 559853

बोर्ड सदस्यों में रिक्तता की पूर्ति-

इस ट्रस्ट दस्तावेज में उल्लिखित कारणों या अन्य किसी परिस्थिति में बोर्ड सदस्य का कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति करने का निर्णय बोर्ड बैठक में बहुमत से तय होगा, परन्तु इसके लिए प्रमुख ट्रस्टी (प्रबन्धक/सचिव) के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

त्याग पत्र-

ट्रस्ट सेवा से मुक्त होने के इच्छुक ट्रस्टी को प्रबन्धक/सचिव को त्यागपत्र सौंपना होगा जिसे बोर्ड में विचारार्थ रखा जायगा। बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात सेवा से मुक्त होने के इच्छुक सदस्य ट्रस्ट के सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जायेंगे। यदि कोई ट्रस्ट किसी न्यायालय द्वारा किसी गम्भीर अपराध का दोषी घोषित किया जाता है, या दिवालिया हो जाता है तो बोर्ड उसे सदस्यता से वंचित कर निष्कासित कर सकेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559854

बैंक खाता–

1. ट्रस्ट का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या मान्यता प्राप्त बैंक में खोला/रखा जायेगा।
2. बैंक खाते का संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा।
3. आसन्न योजनाओं में अप्रयोजनीय अतिरिक्त राशि को बोर्ड के निर्णयानुसार स्थायी जमा राशि में रूपान्तरण किया जायेगा।

कानूनी कार्यवाही–

ट्रस्ट द्वारा या उसके विरुद्ध सभी कानूनी कार्यवाही, कार्यवाहियाँ कोषाध्यक्ष के नाम से निर्गत की जायेंगी, किन्तु आवश्यकतानुसार बोर्ड किसी विशेष व्यक्ति को अपने निर्णयानुसार यह अधिकार दे सकेगी। ट्रस्ट के सभी वाद जनपद जौनपुर न्यायालय में योजनीय होंगे।

वार्षिक सभा–

ट्रस्ट के बोर्ड की एक वार्षिक बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात तीन माह के भीतर अवश्य बुलायी जायेगी जो वार्षिक साधारण सभा

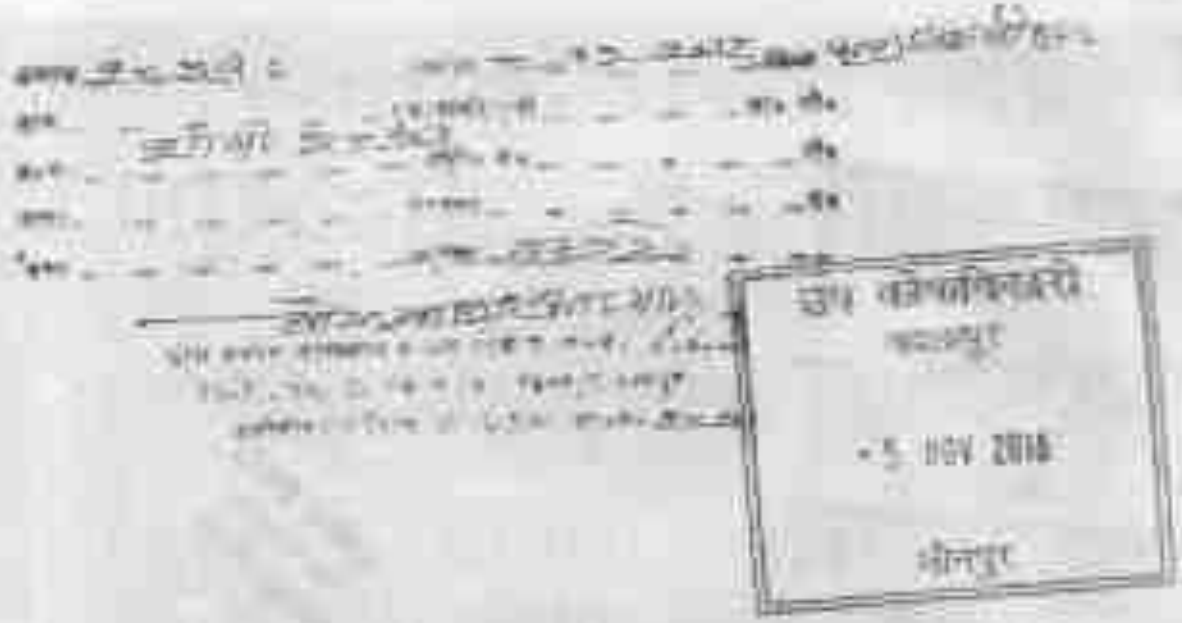

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DL 559855

कहलायेगी। इसमें वित्तीय लेखा जोखा पास किया जायेगा। स्वीकृत हुए वर्ष के कार्य कलापों की समीक्षा व आने वाले वर्ष के कार्यों के निर्धारण इस सभा के विशेष बिंदु होंगे। अन्य विषयों पर भी जो आवश्यक होंगे विचार विमर्श/चर्चा की जायेगी, तदनुसार बोर्ड उस पर निर्णय लेगा।

सभा सूचना–

ट्रस्ट के किसी भी बैठक के निर्णय की सूचना सभा आहूत करने के दिन से दस दिन पूर्व देनी होगी। किन्तु किसी आकस्मिक बिंदु पर विचारार्थ सभा हेतु कम समयावधि की सूचना द्वारा भी बैठ होगी।

संशोधन व विसंगतियां–

ट्रस्ट विधान में किसी प्रावधान के मध्य विसंगति की अवस्था में उसके स्पष्टीकरण का अधिकार बोर्ड के बहुमत के आधार पर तय होगा। नियम, व्यवस्थाओं या किसी प्रकार के विधान संशोधन हेतु बोर्ड का 2/3 का न्यायाधिकार आवश्यक होगा।
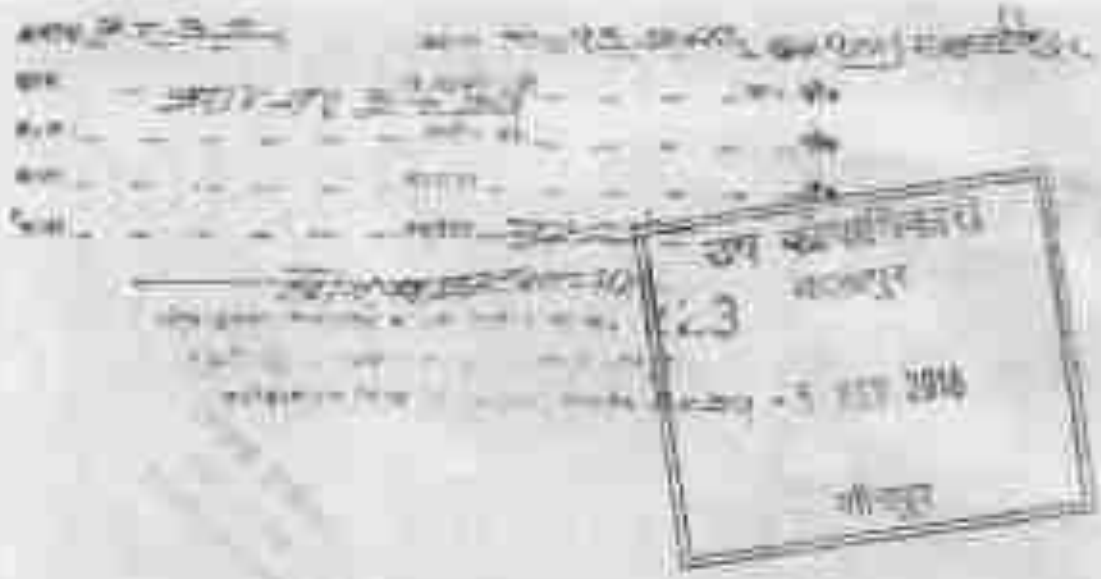
भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DL 559856

ट्रस्टी की जिम्मेदारी सीमांकन-

ट्रस्ट के किसी भी ट्रस्टी का उसके मनमाना से किये गये कार्यों से उत्पन्न किसी नुकसान हेतु वह जिम्मेदार नहीं होगा। किन्तु कदाचरण और अभिप्राय जनित क्षति का वह निश्चित रूप से जिम्मेदार होगा। कोई ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के साथ साथ निष्कासन की प्रक्रिया भी सम्पन्न कर सकेगी।

जायदाद का निहितीकरण-

ट्रस्ट के अधीन सृजित सभी स्थायी व अस्थायी सम्पत्तियों का सम्पूर्ण मालिकाना हक बोर्ड का होगा। यदि किसी अवस्था में किसी ट्रस्ट के व्यक्तिगत नाम से भी कोई सम्पत्ति ट्रस्ट के कोष में सृजित हो गयी है तो उस पर भी मालिकाना हक ट्रस्ट बोर्ड का ही होगा। न्यास/ ट्रस्ट पर प्रोविजन इनकम टैक्स की सभी शर्तें लागू होंगी।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559857

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम व पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्रमांक	नाम तथा पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	2	3	4	5
1.	श्री दिवाकर द्विवेदी पुत्र स्व. रामचन्द्र द्विवेदी	ग्राम [illegible], पो० [illegible], जनपद जौनपुर।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	राजीव द्विवेदी पुत्र स्व. रामचन्द्र द्विवेदी	ग्राम [illegible], पो० [illegible], जनपद जौनपुर।	प्रबन्धक/मंत्री	समाजसेवा
3.	कमलाकर द्विवेदी पुत्र स्व. रामचन्द्र द्विवेदी	ग्राम [illegible], पो० [illegible], जनपद जौनपुर।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा

हम हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृतिपत्र/ट्रस्ट का संलग्न नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

223

-5 NOV 2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559858

गवाहान-

1. संजय कुमार सिंह
पुत्र स्व० त्रिलोचन सिंह
ग्राम व पो० डेमा, तहसील बदलापुर, जौनपुर।

2. प्रमोद कुमार शुक्ला
पुत्र स्व० विश्वनाथ शुक्ला
ग्राम खजुरन, पो० डेमा,
तहसील बदलापुर, जौनपुर।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559861

तहरीर दिनांक 15.12.2010

मसविदाकर्ता–राजेन्द्र प्रसाद तिवारी (एडवोकेट)
तहसील बदलापुर, जौनपुर।

टाईपकर्ता– हरिशंकर बदलापुर, जौनपुर।

[illegible]

-5 JUL 2016

[illegible]

आज दिनांक 15/12/2016 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 15

पृष्ठ सं. 87 से 122 पर क्रमांक 42

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्रमोद कुमार मिश्र)

उप निबंधक (बदलापुर)

जौनपुर

15/12/2016

9554695028
[illegible]

8036 2201 2012
आधार - आम आदमी का अधिकार

8576•05808